(c) whether HIL has imported so far banned| restricted items for other companies in violation of Government directives; if so, what are the details thereof; and

(d) what is Government's reaction in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No such decision has been taken by HIL management. Import is arranged by HIL on specific recommendation of Ministry of Agriculture in accordance with existing import export policy. Only those items can be imported which are registered for use in India.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Increase in prices of medicines containing controlled bulk drugs as ingredients

3357. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of a number of medicines containing controlled bulk drugs as minor ingredients have been increased;

(b) if so, the names of those medicines along with the earlier and present price of each;

(c) whether these companies have taken the price approval;

(d) if so, the names of the companies and medicines;

(e) whether it is also a fact that a number of small scale units have increased the prices of their medicines based on controlled drugs falling under Category II;

(f) if so, the names of such medicines and their manufacturers as also the earlier and present price along with percentage change;

(g) what is the provision of DPCO under which all these prices have been increased; and

(h) the names of finished medicines where prices have gone up during the last three months along with the earlier and present price of each?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (d) and (h) The required details are quite voluminous and are not readily available. The time and efforts required for collection of the same will not be commensurate with the result likely to be achieved.

(e) to (g) As per the provisions of DPCO, 1987 and guidelines issued thereunder ,Small Scale Industrial Units are exempted from price control for Category II fomulations, subject to certain conditions.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजीनिवेश

3358. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश की दर अपेक्षाकृत थोड़ी रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सरकारी क्षेत्र के एककों में केन्द्रीय सरकार से पूंजी निवेश की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) 1985-86 और 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार की लगी पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
1985–86 . .	777.59
1986–87 . .	603.60

1987–88 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के परीक्षित लेखे केवल सितम्बर, 1988 के अन्त तक ही उपलब्ध होते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

घटिया कोयले का आयात

3359. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी क्वालिटी के कोयले के साथ घटिया स्तर के कोयले का, जो देश में उपलब्ध है, आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई विभिन्न क्वालिटी के कोयले की वर्षवार मात्रा कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने आयातित कोयले की क्वालिटी की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) "खुली लाइसेंस प्रणाली" के अधीन वास्तविक औद्योगिक प्रयोगकर्ता कच्चे माल के रूप मे प्रयोग के लिए कोयले का आयात कर सकते है । उच्च राख के अंश वाले देशी कोककर कोयले में मिश्रण हेतु तथा देशी स्रोतों से रह गई कमी पूरी करने की दृष्टि से इस्पात उद्योग कम राख के अंश वाला कोककर कोयले का आयात कर रहा है । ऐसा समझा जाता है कि मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र के सीमेंट उद्योगों द्वारा थोड़ी मात्रा में अकोककर कोयला आयात किया जाता है । आयातित कोयले की किस्म आम तौर पर बेहतर होती है अथवा देश में उत्पादित उच्च श्रेणी के कोयले से अच्छी होती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र द्वारा आयातित किए गए कोककर कोयले को नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	कुल मात्रा (मिलियन टन में)
1985–86 . .	2.45
1986–87 . .	2.43
1987–88 . .	3.08

सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सीमेंट उद्योग द्वारा आयातित किए गए अकोककर कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

	लाख टन
1986–87 . .	0 86
1987–88 . .	1.31

इसके अलावा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने भी 1985–86 के दौरान 92,738 टन कोयले का आयात किया ।

कम राख के अंश वाले कोककर कोयले के आयात को गुणवत्ता तथा देश में उसकी